>

Title: Need to take action to check rampant corruption and irregularities in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and Pradhan Mantri Sadak Yojana in Rajasthan.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदया, आज डा. सी.पी. जोशी जी भी बैठे हैं और मैं आपका ध्यान महानरेगा और प्रधान मंत्री सड़क योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मुझे मालूम है कि अभी रोड विभाग उनके पास है, बहुत अच्छी बात है, हमारे यहां की सड़कें सुधरेंगी। राजस्थान राज्य में भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिलीभगत से बहुत अधिक बढ़ गया है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने एम.पी. को जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया था। उसके अंदर मैंने चैक किया था और मैं प्रधान मंत्री सड़क योजना और नरेगा की सड़कें चैक करने के लिए निकला था। कुछ पौधों की योजना भी मैंने चैक की थी। राजीव गांधी स्वास्थ्य केन्द्र भी चैक किये थे।

सब जगह इतनी अनियमितता है जिसकी कोई हद नहीं है। अधिकारियों को यह पता नहीं है कन्स्ट्रक्शन मैप में कौन सा रॉ मैटीरियल डालना है, कितने रॉड्स लगने चाहिए। जब मैंने देखा कि जहां छः रॉड लगने चाहिए वहां चार मिलते थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एसी, जो रिप्यूटिड गवर्नमेंट अफसर है, उसे लेकर मैंने चैक किया तो मैंने बहुत कमियां पाई। एसी ने खुद एक्सेप्ट किया और दो महीने बाद रिपोर्ट बनाकर पेश की कि इसमें कोई कमी नहीं है। जब उसने रिपोर्ट दी तब उसका ट्रंसफर हो चुका था। नरेगा योजना में मैंने रोड चैक की जिसमें 42 लाख का काम हो चुका था लेकिन वास्तव में सात लाख का भी काम नहीं हुआ था। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया लेकिन हंसी की बात है कि मात्र छः महीने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया जबकि हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था। अगर छः महीने के लिए ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं तो नरेगा रोड नहीं बनेगी लेकिन वह बाद में बना सकता है।

महोदया, 13 लाख पौधे लगने थे, मैंने चैक किया वहां मात्र 13 भी पौधे नहीं थे। अधिकारियों से पूछा गया तो जवाब मिला कि हम चैक नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप एमपी या एमएलए की अध्यक्षता करवाते हैं और जो रिपोर्ट बनती है उसमें जनप्रतिनिधि के सिग्नेचर होने चाहिए ताकि वह चैक करे और फिर फाइनल रिपोर्ट बने जिससे जो अधिकारी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वे न कर सकें। वे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें ऑन द स्पाट सस्पेंड किया जाना चाहिए। सस्पेंड या एपीओ करने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि या तो तब तक अधिकारी ट्रंसफर होकर चला जाता है या मंत्री महोदय को दूसरा मंत्रालय मिल जाता है। हम कहां ढूंढते फिरें? हम आपसे भ्रष्टाचार की नींव को खत्म करने की गुजारिश करते हैं।